संख्या-04/2023/001-1522 60 3 2022 सी 806962

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 फरवरी, 2023

विषयः-उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित उज्ज्वला गृहों के वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के अवशेष/लम्बित भुगतान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2059/निदे0म0क0/अनुदान-उज्व्क कला/2022-23, दिनांक 26.12.2022 के क्रम में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित उज्ज्वला गृहों के वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के अवशेष/लम्बित भुगतान हेतु कुल रू0-43,00,446/- (रूपये तैंतालीस लाख चार सौ छियालीस मात्र) को व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्न गत स्वैधच्छिक संस्थाओं की देयता का नियमानुसार निर्धारण होता है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, महिला कल्यानण का होगा।

(2) धनराशि के आहरण एवं व्यशय के पूर्व स्वै्च्छिक संस्थाकओं की दयेता का निर्धारण योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार सक्षम स्त र से कर लिया जायेगा।

(3) धनराशि के आहरण से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आच्छादित स्वैसच्छिक संस्थापओं की देयता के भुगतान में पुनर्वृत्ति किसी अन्यि स्रोत से न हुई हो।

(4) प्रश्न गत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, महिला कल्या ण यह सुनिश्चित हो लेंगे कि देय केन्द्रांश उपलब्धी है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्न गत भुगतान के दौरान यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थागओं को भुगतान किया जा रहा है जितना कि नियमानुसार देय/निर्धारित होता है।

(6) निदेशक, महिला कल्यातण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या्-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08.11.2022 शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहराण एवं व्यय के दौरान योजना के भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(12) उक्त धनराशि आहरित करके निदेशक, महिला कल्याण द्वारा भारत सरकार की योजना से संबंधित पुनरीक्षित गाइडलाइन्स के अनुसार संबंधित स्वैच्छिक संस्थाओं को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 28,66,965 (रुपये अट्ठाईस लाख छियासठ हजार नौ सौ पैंसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030104 उज्जवला योजना (के.60/रा.30.-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 14,33,481 (रुपये चैदह लाख तैंतीस हजार चार सौ इक्यासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021038904 उज्जवला योजना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-428-X-2022-23-दिनांकः27-1-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-04/2023/001-1522 60 3 2022 सी 806962, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।